भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1203
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

1203. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान ग्रामीण विकास योजनाओं का राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है, जिनमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सम्मिलित हैं;

(ख) क्या सरकार स्वयं सहायता समूहों, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, की वार्षिक आय बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या स्वयं सहायता समूहों के ग्रामीण उत्पादों का देश और विदेश में आम जनता के बीच स्वीकार्यता की अपार संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को बेचने में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) अन्य प्रयासों के साथ-साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें स्व-सहायता समूह (एसएचजी) शामिल हैं। ये योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य विभागों/मंत्रालयों और ग्रामीण विकास से संबंधित राज्य सरकार के विभागों द्वारा समय-समय पर स्व-सहायता समूहों को शामिल किया जा रहा है।

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों और गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी) की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के दायरे में लाने और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 से देश भर में डीएवाई-एनआरएलएम को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति अनुसार लगभग 10.05 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2011 से स्व-सहायता समूहों में संगठित परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध I** में दिया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत, एसएचजी सदस्यों को ग्राम सभा परियोजनाओं में भागीदारी के माध्यम से कार्यों की आयोजना में शामिल किया जाता है, ये सामाजिक लेखा परीक्षकों की भूमिका निभाते हैं और इनको कार्यस्थल पर्यवेक्षकों (मेट) के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को उत्तरोत्तर रूप से शामिल किया गया है।

(ख) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशिलता कार्यक्रम (एसवीईपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी विभिन्न उप-योजनाएं ग्रामीण गरीबों की आय को स्थायी आधार पर बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। यह मिशन चार मुख्य घटकों में निवेश करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जैसे (i) ग्रामीण गरीबों के स्थायी सामुदायिक संस्थानों (स्वयं सहायता समूह-एसएचजी, ग्राम संगठन-वीओ, क्लस्टर स्तरीय संघ-सीएलएफ) का सामाजिक संगठन और संवर्धन; (ii) वित्तीय समावेशन, (iii) स्थायी आजीविका; और (iv) अभिसरण और अधिकार। तदनुसार, इस मिशन के दायरे में और अन्य मंत्रालयों की अभिसरण योजनाओं के साथ, एसएचजी सदस्यों को स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि वे कम से कम एक लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के आकांक्षात्मक लक्ष्य तक पहुँच सकें। इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए, एसएचजी परिवारों की आय और गतिविधियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) जी हाँ। मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए जेम में स्टोर फ्रंट के रूप में "सरस कलेक्शन" बनाया है। इसके अलावा, 2 नवंबर, 2021 और 12 मई, 2022 को मंत्रालय और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़न के बीच क्रमशः समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को फ्लिपकार्ट समर्थ

कार्यक्रम और अमेज़न सहेली पहल के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच मिल सके। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर, 2022 को पतंजलि के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए मंत्रालय द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी शुरू किया गया है। एसएचजी उत्पादों के ऑनबोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए 16 फरवरी, 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और फशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) तथा 8 दिसंबर, 2023 को जियो मार्ट (रिलायंस रिटेल लिमिटेड) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने एसएचजी के उत्पादों के विपणन को सहायता देने के लिए अपना स्वयं का ई-वाणिज्य प्लैटफार्म भी तैयार किया है।

****

"स्वयं सहायता समूह" के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1203 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 जनवरी, 2025 की स्थिति अनुसार संगठित परिवारों और संगठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	गठित स्वयं सहायता समूह	संगठित परिवार
1	आंध्र प्रदेश	855600	9075289
2	असम	361516	4111020
3	बिहार	1097100	12713428
4	छत्तीसगढ़	276375	3068427
5	गुजरात	279758	2783006
6	झारखंड	291601	3589607
7	कर्नाटक	360684	4207374
8	केरल	271209	4002478
9	मध्य प्रदेश	487291	5829972
10	महाराष्ट्र	640719	6525549
11	ओडिशा	551141	5775035
12	राजस्थान	321875	3804161
13	तमिलनाडु	336764	4023939
14	तेलंगाना	442979	4820573
15	उत्तर प्रदेश	842101	9509884
16	पश्चिम बंगाल	1192980	12251533
17	हरियाणा	60301	629094
18	हिमाचल प्रदेश	45295	378542
19	जम्मू एवं कश्मीर	91445	797805
20	पंजाब	52118	543246
21	उत्तराखंड	65840	497777
22	अरूणाचल प्रदेश	11730	91964
23	मणिपुर	11538	117457
24	मेघालय	45312	444264
25	मिजोरम	10291	85934

26	नागालैंड	15419	135261
27	सिक्किम	5915	56675
28	त्रिपुरा	51841	494675
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1294	13194
30	गोवा	3891	50735
31	लद्दाख	1745	12230
32	लक्षद्वीप	348	4363
33	पुदुचेरी	4744	59714
34	दमन और दीव तथा नागर हवेली	1645	16674
	कुल	**9090405**	**100520879**